LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Wednesday, 28 June 2017 / 07 Ashaadha, 1939 (*Saka*)
2:00 P.M.
LIST OF BUSINESS
NATIONAL SONG-*VANDE MATARAM*

1. Special Mention (Rule 280): The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

1. Shri Anil Kumar Bajpai
2. Shri Avtar Singh Kalkaji
3. Shri Rajesh Rishi
4. Shri Som Dutt
5. Shri Saurabh Bharadwaj
6. Shri Jarnail Singh
7. Shri Kartar Singh Tanwar
8. Shri Manjinder Singh Sirsa
9. Shri Gulab Singh
10. Shri Adarsh Shastri

2. Presentation of Report:
Ms. Rakhi Birla
Ch. Fateh Singh
to present the **Third Report of Rules Committee.**

3. Paper to be laid on the Table:
Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Urban Development to lay copies of the Annual Report of DUSIB for the year 2015-16 (English Version) on the Table of the House.

4. Government Resolution (Rule-90):

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Law & Justice to move the following Government Resolution :

"The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting in Delhi on 28 June, 2017:

Taking note of the fact that there are thousands of families living in different area of Delhi such as Najafgarh, Matiala, Mundka, Kanjhawala, Mehrauli, Narela etc, who had been allotted small parcels of Gram Sabha land way back in the 1970s and early 80s, including the allotments made under the Government of India's 20-point programme;

Dismayed by the fact that these persons who were admitted as Asamis under section 74 of the Delhi Land Reforms Act (1954) have not been declared as Bhumidars under the DLR Act, despite having reclaimed the waste land and continue to be in possession carrying out agricultural activities;

Noting that Section 74 (4) of the DLR Act makes it clear that once a person was admitted as Asami then, at the end of five years, it was duty of the Gram Sabha to report to the Revenue Assistant the extent to which reclamation has been made by such person and thereafter it was duty of the Revenue Assistant to carry out necessary enquiry and after hearing the Asami, either order the termination of the lease and his ejectment if there has been no reclamation or extend his lease for another period of two years;

Also noting that if, however, the land has been duly reclaimed during the period of five years or during the extended period, the Revenue Assistant shall direct the Gram Sabha to admit the Asami as Bhumidar under section 73;

Brings to the notice of the Hon'ble Lieutenant Governor the Cabinet decision No 1891 dated 21.05.2012 approving the grant of Bhumidari rights to original allottees or their next of kin or legal heirs, if they are still in possession of the said land parcels and are carrying out agricultural activities;

Strongly urges the Hon'ble Lieutenant Governor that all the persons who were admitted as Asamis under section 74 of the Delhi Land Reforms Act (1954) be declared as Bhumidars, at once.

28 June 2017

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
कार्यसूची
बुधवार, 28 जून, 2017 / आषाढ़ 07, 1939 (शक)
2.00 बजे अपराह्न

राष्ट्रगीत (वन्दे मातरम्)

1. **विशेष उल्लेख (नियम–280) :** निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगेः–

1. श्री अनिल कुमार बाजपेई	2. श्री अवतार सिंह कालका जी
3. श्री राजेश ऋषि	4. श्री सोम दत्त
5. श्री सौरभ भारद्वाज	6. श्री जरनैल सिंह
7. श्री करतार सिंह तंवर	8. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
9. श्री गुलाब सिंह	10. श्री आदर्श शास्त्री

2. **प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण :**
सुश्री राखी बिडला
चौ. फतेह सिंह
नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

3. **सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात :**
श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय शहरी विकास मंत्री दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वित्त वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

4. **सरकारी संकल्प (नियम–90):**
श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री नियम–90 के अंतर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः–
"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 28 जून. 2017 को दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में :
इस तथ्य पर गौर करते हुए कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे–नजफगढ़, मटियाला, मुण्डका, कंझावला, महरौली, नरेला इत्यादि में रह रहे हजारों परिवारों को काफी समय पूर्व 1970 के दशक के दौरान तथा 1980 के दशक के प्रारम्भ में ग्राम सभा की भूमि के छोटे टुकड़े आबंटित किये गये थे, जिनमें भारत सरकार के 20–सूत्रीय कार्यक्रम के तहत किये गये आबंटन भी सम्मिलित हैं;
इस तथ्य के प्रति निराशा जाहिर करते हुए कि इन व्यक्तियों को, जिन्हें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम (1954) की धारा–74 के तहत आसामी स्वीकार किया गया था, उनके द्वारा बंजर जमीन कृषि योग्य बनाये जाने तथा कृषि गतिविधियों के लिए लगातार इनके कब्जे में रहने के बावजूद, उन्हें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूमिधर घोषित नहीं किया गया है;
यह ध्यान देते हुए कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 74 (4) यह स्पष्ट करती है कि एक बार जिस व्यक्ति को आसामी स्वीकार कर लिया जाता है, तब पांच वर्षों की समाप्ति के बाद यह ग्राम सभा का दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस हद तक भूमि–उद्धार किया गया है, उसके संबंध में राजस्व सहायक को रिपोर्ट करे तथा उसके बाद राजस्व सहायक का यह दायित्व है कि वह आवश्यक जांच करे तथा आसामी की सुनवाई के बाद, यदि कोई भूमि–उद्धार नहीं हुआ है तो पट्टे को रद्द करने का और उसकी बेदखली का आदेश दे या दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पट्टे को आगे बढ़ाये;
यह भी देखते हुए कि यदि, पांच वर्षों की अवधि के दौरान या बढ़ी हुई अवधि के दौरान, भूमि का विधिवत रूप से सुधार हुआ है तो राजस्व सहायक, ग्राम सभा को धारा–73 के तहत आसामी को भूमिधर स्वीकार करने का निर्देश देगा;
माननीय उपराज्यपाल महोदय का ध्यान कैबिनेट के निर्णय संख्या 1891 दिनांक 21.05.2012 की ओर दिलाती है, जिसमें मूल आबंटियों या उनके अगले वारिस या कानूनी वारिस को भूमिधारी के अधिकार देने की अनुमति दी गई थी, यदि उक्त भू–खण्डों पर अब भी उनका कब्जा है और वे कृषि गतिविधियां कर रहे हैं;
माननीय उपराज्यपाल महोदय से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करती है कि उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम (1954) की धारा–74 के तहत आसामी स्वीकार किया गया था, उन्हें तत्काल भूमिधर घोषित किया जाये।"

दिल्ली
28 जून, 2017

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव